न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 280/18 **निर्णय दिनांकः 24.09.2018**

1. कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24—06—1999
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—
1. श्री बहादुरराम सुथार , अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 24—06—1999 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त भूमिहीन के बतौर भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 1 केएचएसएम के मुरब्बा नम्बर 154/47 में किला

नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन आदेश में चक 1 केएचएसएम के स्थान पर चक 1 केडब्ल्यूएसएम अंकित कर दिया गया।

अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 18—10—1996 को जरिये जीए रसीद संख्या 21 पुस्तक संख्या 380681 राशि 17247/— खजानाराज में जमा करवा दी गई। तत्पचात् अपीलांट द्वारा दूसरी व तीसरी किश्त भी खजानाराज में जमा करवा दी गई। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन आदेश को संशोधन कराने हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा संशोधन आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया।

कालांन्तर में आवंटित क्षेत्र उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में विलय होने पर से उक्त संशोधन आदेश के मुताबिक चक 1 केएचएसएम के मुरब्बा नम्बर 154/47 के अमलदरामद हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गईं उक्त रिपोर्ट के मुताबिक वादगत् भूमि अन्य व्यक्ति विनोद कुमार पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन खाजुवाला को आवंटित होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड बताया गया।

ऐसी स्थिति में अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुका है तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने

का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—06—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 12—07—2018 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—06—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

12—07—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को चक 1 केएचएसएम के मुरब्बा नम्बर 154/47 में किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने का नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 18—10—1996 को जरिये जीए रसीद संख्या 21 पुस्तक संख्या 380681 राशि 17247/— खजानाराज में जमा करवा दी गई। तत्पचात् अपीलांट द्वारा दूसरी व तीसरी किश्त भी खजानाराज में जमा करवा दी गई।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन आदेश जारी करते समय सहवन से चक 1 केएचएसमए के स्थान पर चक 1 केडब्ल्यूएसएम अंकित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश में संशोधन कराने हेतु समय समय पर अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कालांन्तर में आवंटित क्षेत्र उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में विलय होने पर से उक्त संशोधन आदेश के मुताबिक चक 1 केएचएसएम के मुरब्बा नम्बर 154/47 के अमलदरामद हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गईं उक्त रिपोर्ट के मुताबिक वादगत् भूमि अन्य व्यक्ति विनोद कुमार पुत्र हजारीराम जाति

जाट साकिन खाजुवाला को आवंटित होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड बताया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि व खाजेदारी दर्ज भूमि थी।

(3) जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(6) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(7) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैः—

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार—बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्वयं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना—बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ङ) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह

अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

(8) प्रकरण में मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2069 से 2071 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि पूर्व में विनोद कुमार पुत्र हजारीराम को आवंटन होने व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होने से आवंटी को कब्जा नहीं दिया गया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलांट भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–06–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे तथा अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् जमा राशि का नियमानुसार समायोजन किया जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर